

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं राज0 जयपुर
क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/09/ 130 दिनांक:- 2/4/09


समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,
राजस्थान

विषय:- एनआरएचएम योजना के तहत रखे गये जीएनएम के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि श्री आर0एल0 जांगिड, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जौधपुर ने पत्रांक-270 दिनांक-1.4.09 के द्वारा अवगत कराया है, कि मा0 उच्च न्यायालय, जौधपुर में दायर 38 याचिकाओं में मा0 न्यायालय में आगामी दिनांक-6.4.09 तक याचिकाकर्ताओं को नहीं हटाये जाने के निर्देश दिये हैं।

अतः उक्त निर्देशों की पालना में एनआरएचएम योजना के तहत प्रथम चरण में अनुबन्धित ऐसे जीएनएम जिनका चयन दिनांक-28.2.09 को जारी राज्य स्तरीय चयन सूची में नहीं हुआ है, को दिनांक-6.4.09 तक नहीं हटाया जावे। अर्थात् यथास्थिति बनाये रखें।

निर्देशों की पालना तत्काल सुनिश्चित करें।



अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांक: नर्सिंग/एनआरएचएम/09/ 130

दिनांक:- 2/4/09

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. श्री आर0एल0 जांगिड, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जौधपुर।
2. परामर्शी विधि, मुख्यालय।
3. श्री आर0एस0 कुमावत, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
4. श्री दिनेश यादव, अतिरिक्त महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
5. समस्त प्रधानाचार्य व नियन्त्रक, चिकित्सा महाविद्यालय, राजस्थान
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान


अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर